

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर०ए०एस०

पंचायत निगरानी सं. – 16/2022 (2022/34)

प्रार्थी

अन्नाराम पुत्र नथुराम, जाति जाट, उम्र 68 वर्ष, निवासी ग्राम बोरानाड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर। हाल निवासी जाटो का बास, ग्राम गंगाणा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

**बनाम**

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत बोरानाड़ा, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर।
2. पुनाराम पुत्र भल्लाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम बोरानाड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 आदेश दिनांक 24.03.1991 ग्राम पंचायत बोरानाड़ा, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर के द्वारा जरिये मिसल संख्या 26/1990-1991, पट्टा नम्बर 112 जो प्रार्थी के नाम से जारी सुदा है, में ग्राम पंचायत द्वारा अनाधिकृत रूप से अंकित पट्टा खारिज करने का नोट व अन्य पृष्ठाकंन हटाने बाबत्।

— — —

उपस्थिति :-

1. अधिवक्ता श्री धर्मराम चौधरी (प्रार्थी)।
2. अधिवक्ता श्री अर्जुन (अप्रार्थी संख्या 01)।
3. अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित (अप्रार्थी संख्या 02)।

—आदेश—

दिनांक : 21.09.2022

प्रार्थी ने यह पंचायत निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 आदेश दिनांक 24.03.1991 ग्राम पंचायत बोरानाड़ा, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर के द्वारा जरिये मिसल संख्या 26/1990-1991, पट्टा नम्बर 112 जो प्रार्थी के नाम से जारी सुदा है, में ग्राम पंचायत द्वारा अनाधिकृत रूप से अंकित पट्टा खारिज करने का नोट व अन्य पृष्ठाकंन हटाने बाबत् को निरस्त करवाने हेतु पेश की है।



प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पंचायत निगरानी प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन व अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपालसिंह राजपुरोहित ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत बोरानाड़ा से तलब किया गया। ग्राम पंचायत बोरानाड़ा से रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बतलाया कि प्रार्थी का एक कब्जा सुदा भूखण्ड ग्राम बोरानाड़ा, तहसील लूणी में ग्राम बासनी सिलावटा जाने वाले मार्ग पर ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में आया हुआ है, जिसका पट्टा विलेख ग्राम पंचायत बोरानाड़ा के द्वारा विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए जरिये मिसल संख्या 26/90-91, पट्टा नम्बर 112 प्रस्ताव संख्या 09 दिनांक 05.02.1991 के अनुसरण में राशि रूपये 60 रसीद संख्या 31 जरिये दिनांक 24.03.1991 को जमाकर दिनांक 24.03.1991 को प्रार्थी के नाम जारी किया गया जिसके पड़ौस निम्नानुसार है -

उत्तर में :- भल्लाराम चौधरी का भूखण्ड

दक्षिण में :- बाडमेर जोधपुर मुख्य सड़क

पूरब में :- भल्लाराम चौधरी का भूखण्ड

पश्चिम में :- कच्ची सड़क बोरानाड़ा से बासनी सिलावटा जाने वाली।

उक्त पट्टे की भूमि पर प्रार्थी ने निर्माण कार्य करवाने हेतु साफ-सफाई करवाई और दीवार बनाने हेतु निर्माण सामाग्री डलवाई तब अप्रार्थी संख्या 2 मौके पर आया और प्रार्थी को कहा कि उक्त भूखण्ड मेरा है तब प्रार्थी ने अपने नाम से जारी पट्टा विलेख को बताया तो अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी को बतलाया कि तुम्हारा पट्टा खारिज हो चुका है। इस पर प्रार्थी ने ग्राम पंचायत से पट्टे की प्रमाणित प्रति ली। जिस पट्टा विलेख पर "यह पट्टा खारिज किया" का नोट व पृष्ठांकन कर दिया, उक्त पट्टा विलेख को काट दिया और साथ ही उक्त पट्टे में "कब्जाधारी पूनाराम को नया पट्टा जारी किया जाता है" कर पृष्ठांकन अंकित कर दिया। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने नियम विरुद्ध कृत्य करके प्रार्थी के नाम से जारी पट्टे में विधि विरुद्ध नोट एवं पृष्ठांकन कर दिया जो निरस्त योग्य है। प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर प्रार्थी के नाम से जारी पट्टे में विधि विरुद्ध नोट एवं पृष्ठांकन को निरस्त करने की प्रार्थना की।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि अगर प्रार्थी के नाम से जारी पट्टा विलेख में किसी भी प्रकार की कानूनी त्रुटि थी या उक्त पट्टा विलेख में वर्णित भूमि पर

प्रार्थी का कब्जा नहीं होकर अप्रार्थी संख्या 02 का कब्जा था, तो अप्रार्थी संख्या 02 विधिवत् प्रक्रिया अपनाकर प्रार्थी के नाम से जारी पट्टा का अपास्त करवा सकता था। अप्रार्थी संख्या 02 ने ग्राम पंचायत से मिलीभगत करके इस आशय का नोट व पट्टे में किसी प्रकार की काटछाट करने का विधिक अधिकार ग्राम पंचायत व अप्रार्थी संख्या 02 को नहीं था। अतः प्रार्थी के नाम से जारी पट्टा विलेख बहाल किये जाने योग्य होने से पंचायत निगरानी स्वीकार फरमावे।

प्रार्थी अधिवक्ता ने निरन्तर बहस में बतलाया कि यदि किसी व्यक्ति के नाम ग्राम पंचायत द्वारा गलत पट्टा जारी कर दिया जाता है तो उक्त पट्टा विलेख को अपास्त करवाने हेतु ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पारित कर उक्त पट्टा विलेख के विरुद्ध जिला कलक्टर न्यायालय में निगरानी पेश की जाती है। जिला कलक्टर द्वारा पट्टा धारक को सुनवाई का समुचित अवसर देकर एवं पट्टे की वैधानिकता देखकर ही पट्टा खारिज किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया और न ही जिला कलक्टर के न्यायालय में उक्त पट्टा विलेख से संबंधित कोई निगरानी पेश की गई। ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से नोट लगाकर पट्टा खारिज कर दिया गया जो न्यायसंगत नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता लिखित बहस प्रस्तुत कर बतलाया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी नियमानुसार देरीना प्रस्तुत होने से बिना देरी माफ किये निगरानी कानूनी नजरिये की प्रस्तुत किया जाना नहीं मानी जाने के योग्य होने से नियमानुसार काबिले खारीज किये जाने योग्य है क्योंकि प्रार्थी द्वारा निगरानी देरीना प्रस्तुत करने के संबंध में डीले कंडोन हेतु जो प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य किसी भी प्रकार से माने जाने योग्य नहीं है क्योंकि प्रार्थी द्वारा कभी भी किसी प्रकार के भूखण्ड पर निर्माण कार्य करवाने हेतु साफ सफाई नहीं करवायी गई न ही निर्माण सामग्री मौके पर डलवायी गई क्योंकि पत्रावली पर आयी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर भली भांति विदित है कि प्रार्थी द्वारा बताये जा रहे तथाकथित पट्टा विलेख में वर्णित जायदाद का कभी कोई अस्तित्व ही नहीं रहा ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा इतने लंबे अंतराल के बाद जो निगरानी प्रस्तुत की गई है वह समय बाधित होने के कारण खारिज होने योग्य है जिसे खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि प्रार्थी द्वारा स्वयं को बोरानाडा का निवासी होने के कथन किये हैं वो सर्वथा झूठ व कपोल कल्पित है क्योंकि प्रार्थी कतई बोरानाडा का निवासी नहीं है प्रार्थी ग्राम गांगाणा का निवासी है तथा प्रार्थी गांगाणा का निवासी होने से प्रार्थी के नाम गांगाणा में ग्राम पंचायत की आवासीय भूमि पर रहवास है इसलिए बोरानाडा में प्रार्थी के नाम पट्टा जारी करना विधि के प्रावधानों के विपरित है। प्रार्थी द्वारा निगरानी के पद संख्या 2 में दर्शाये गये अड़ौस पड़ौस अंकित करते हुए प्रार्थी के पक्ष में कभी पट्टा विलेख जारी नहीं किया गया उक्त पदांक में वर्णित तथाकथित पट्टा विलेख में दर्शायी गई भूमि वास्तविक रूप से स्थित ही नहीं थी उक्त पट्टा विलेख में वर्णित जायदाद को लेकर प्रार्थी रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने हेतु आमादा था तथा तथाकथित पट्टे में विलेख जायदाद वास्तविक रूप से मौके पर नहीं होने के कारण ऐसे पट्टे का कोई औचित्य नहीं रह जाता इसलिए उक्त पट्टा विलेख तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा खारिज करने में कोई गलती नहीं की। प्रार्थी द्वारा स्वयं के हक में तथाकथित पट्टा जारी होने का निगरानी में कथन किया गया है और उक्त तथाकथित पट्टा निगरानी के साथ पेश किया गया है जिसके पृष्ठ भाग पर अड़ौस पड़ौस अंकित है परंतु प्रार्थी द्वारा अपनी निगरानी में तथाकथित पट्टे में वर्णित अड़ौस पड़ौस से भिन्न अड़ौस पड़ौस अंकित किये हैं इतना ही नहीं प्रार्थी द्वारा तथाकथित पट्टासुद प्लॉट के दक्षिण दिशा में बाड़मेर से जोधपुर जाने वाली मुख्य सड़क होना अंकित किया है जबकि न्यायालय के समक्ष पेश तथाकथित पट्टा विलेख में दक्षिण दिशा में ओमाराम की भूमि होना अंकित है ऐसी स्थिति में यह कतई नहीं माना जा सकता कि प्रार्थी के हक में कभी कोई विधिक रूप से पट्टा जारी किया गया हो और उक्त जायदाद पर प्रार्थी काबिज हो, प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी पूनाराम को मात्र तंग व परेशान करने के लिए निगरानी में पक्षकार बनाया गया है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी किसी भी रूप से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज फरमावें।

1. यह कि प्रार्थी के नाम का यदि ऐसा कोई तथाकथित पट्टा जारी किया गया था तो अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत रूप से उसे खारीज किया गया क्योंकि अप्रार्थी को उक्त निगरानी की जानकारी होने के पश्चात प्रार्थी के तथाकथित पट्टे के बारे जानकारी हासिल की तो अप्रार्थी को ऐसी जानकारी हुई कि प्रार्थी तथाकथित पट्टा प्रार्थी द्वारा अपने चाचाई भाई भीयाराम के सरपंच कार्यकाल में सरपंच होने का नाजायज फायदा उठाते हुए रास्ते की भूमि का अपने भाई यानि प्रार्थी के पक्ष में उक्त तथाकथित पट्टा जारी कर दिया गया जिस पर ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति करने पर मौका निरीक्षण कर भली भांति जांच करने पर प्रार्थी के नाम तथाकथित जारी पट्टा वास्तव में रास्ते की भूमि का जारी होना पाया जाने से निरस्त किया गया जबकि उक्त रास्ते की जायदाद का अप्रार्थी पूनाराम के नाम किसी प्रकार का पट्टा जारी नहीं किया गया। पूनाराम व पूनाराम के परिवार की जायदाद के आगे रास्ते की भूमि आयी हुई है जो कि प्रार्थी के हक में जारी किया गया पट्टा अप्रार्थी की खरीदसुदा व पट्टासुदा जायदाद के आगे सड़क पर जारी किया गया था जो कि उक्त सड़क की भूमि से व प्रार्थी के नाम जारी तथाकथित पट्टा विलेख से पूनाराम की मालिकाना हक की जायदाद का कोई सरोकार व संबंध नहीं है न ही प्रार्थी के नाम जारी पट्टे की भूमि के बाबत पूनाराम के नाम कभी पट्टा ही जारी किया गया और न ही ऐसा किया जा सकता है क्योंकि प्रार्थी द्वारा अपने भाई के सरपंच कार्यकाल में रास्ते की भूमि का पट्टा हासिल किया गया था जो किसी भी रूप में कायम रखे जाने योग्य नहीं था क्योंकि उक्त तथाकथित पट्टा विलेख में वर्णित भूमि वास्तविक रूप से मौके पर नहीं होकर रास्ते पर आती थी जिसे पंचायत द्वारा सही व विधिवत खारीज किया है यहां यह कहना भी उचित होगा कि प्रार्थी स्वयं द्वारा भी निगरानी व पट्टा विलेख में भिन्न भिन्न अड़ौस पड़ौस होना अंकित किया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी के कथनों में भयंकर विरोधाभास है जिससे साफ जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी झूठे व गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई जिसे खारिज फरमाया जावे।
2. अप्रार्थी पूनाराम द्वारा जिस जायदाद पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है उक्त जायदाद अप्रार्थी के व अप्रार्थी के परिवार के नाम की खरीदसुदा व पट्टासुदा है जिसको सम्पूर्ण सम्मिलित करते हुए निर्माण कार्य करवाया जा रहा है जिसका विवरण निम्न प्रकार है कि— उक्त जायदाद का 1976 में जहुर मोहम्मद पुत्र अलाबक्श के नाम ग्राम पंचायत द्वारा भूमि विक्रय विलेख (पट्टा) जारी किया गया था और उक्त जायदाद पर बतौर मालिक की हैसियत जहुर मोहम्मद काबिज था जो जहुर मोहम्मद द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त जायदाद जुगलकिशोर पुत्र कृष्णजी चाण्डक को

जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख बेचान की गई थी जो उक्त विक्रय विलेख दिनांक 19.03.82 को पंजीबद्धसुदा है तथा जुगलकिशोर द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त जायदाद सीतादेवी पत्नि वेदप्रकाश गौड को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख बेचान की गई थी जो उक्त विक्रय विलेख दिनांक 05.08.87 को पंजीबद्धसुदा है सीतादेवी द्वारा खरीद के तुरंत पश्चात निर्माण कार्य करवाया गया तथा सीतादेवी द्वारा उक्त जायदाद निर्माण सहित अप्रार्थी पूनाराम के दोनो नाबालिग पुत्रों कुलदीप व हेमन्त को जरिये कुदरती वली पिता पूनाराम जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख बेचान की गई जो बेचान का दस्तावेज दिनांक 19.06.2014 को पंजीबद्धसुदा है अप्रार्थी द्वारा उक्त जायदाद खरीद की गई तब तलमंजिल में चार कमरे, एक बरामदा, एक रसोईघर, एक स्नानघर व शौचालय यानि सम्पूर्ण नाप 420 वर्गगज में से 25 वर्ष पुराना 1260 वर्गफीट पर निर्माण किया हुआ खरीद किया गया जो विक्रय विलेख स्पष्ट उल्लेख है, इसी तरह 1976 में बाबूलाल पुत्र बद्रीनारायण के हक में ग्राम पंचायत द्वारा विक्रय विलेख यानि पट्टा जारी किया गया जिस पर बाबूलाल बतौर मालिक की हैसियत से काबिज था उक्त भूखण्ड बाबूलाल द्वारा अप्रार्थी के पिता ताउ व चाचा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख बेचान किया गया जो उक्त बेचाननामा दिनांक 29.02.80 को पंजीबद्धसुदा है तथा इसी तरह अप्रार्थी की दादी हस्तु देवी बेवा रामाराम के हक में ग्राम पंचायत द्वारा भूमि विक्रय विलेख यानि पट्टा नम्बर 04 सन् 1989 में जारी किया गया है इस प्रकार अप्रार्थी की पट्टासुदा व खरीदसुदा जायदाद पास पास होने से अप्रार्थी द्वारा उक्त सभी जायदाद को सामलाती करते हुए काफी हिस्से पर कई वर्ष पूर्व निर्माण कार्य करवाया जा चुका है तथा अब खरीदसुदा जायदाद पर पूर्व में पुराने निर्माण कार्य को हटा कर नया निर्माण करवाया जा रहा है जिसकी प्रार्थी को भली भांति जानकारी है परन्तु प्रार्थी द्वारा द्वेष भावना से झूठे व गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से भलीभांति विदित है कि प्रार्थी द्वारा अपनी बताई जा रही तथाकथित पट्टासुद जायदाद से अप्रार्थी की खरीदसुद व पट्टासुद जायदाद कई गुणा अधिक है, ग्राम पंचायत द्वारा जारी विक्रय विलेखों व बेचाननामों की प्रति जवाब के संलग्न प्रस्तुत है साथ ही अप्रार्थी द्वारा अपनी खरीदसुदा जायदाद पर करवाये जा रहे निर्माण कार्य के फोटो संलग्न प्रस्तुत है।

3. यह कि पंचायत निगरानी के सभी आधार गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थी का कभी भी किसी जायदाद पर कब्जा नहीं था क्योंकि प्रार्थी द्वारा बताई जा रही पट्टासुदा जायदाद आम रास्ते का हिस्सा है जिस पर प्रार्थी का कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि प्रार्थी ग्राम बोरानाडा का निवासी

भी नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थी के हक में किसी प्रकार का पट्टा जारी किया ही नहीं जा सकता, जबकि वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी पूनाराम द्वारा कभी भी किसी से मिलीभगत कर प्रार्थी द्वारा बतायी जा रही पट्टासुद जायदाद का अपने नाम पट्टा जारी नहीं करवाया गया है वास्तविकता यह है कि प्रार्थी द्वारा तथाकथित पट्टासुद जायदाद आम रास्ते पर आ रही थी और उक्त रास्ते के पास ही अप्रार्थी पूनाराम व अप्रार्थी पूनाराम के परिवार की खरीदसुदा व पट्टासुदा जायदाद आयी हुई है इसलिए यदि उक्त पट्टासुद जायदाद पर पूनाराम का कब्जा होने से पूनाराम के नाम पट्टा जारी करने का अंकन है तो मात्र भूलवश व सहवन से अंकित हुआ है जबकि उक्त तथाकथित पट्टासुद जायदाद अथवा रास्ते के पास अप्रार्थी पूनाराम की पट्टासुद व खरीदसुदा जायदाद प्रार्थी द्वारा तथाकथित पट्टा जारी होने की तिथि से बहुत पूर्व उक्त जायदाद के बाबत पट्टे जारी हो रखे है इसलिए यदि ऐसा अंकन हुआ है तो मात्र भूलवश हुआ है अप्रार्थी पूनाराम व उसका परिवार लंबे अरसे से अपनी मालिकाना हक की जायदाद पर काबिज है जो उक्त जायदाद के काफी हिस्से पर बहुत पुराना निर्माण किया हुआ था जो वर्तमान में तुड़वाकर अप्रार्थी पूनाराम द्वारा रिनोवेशन करवाया जा रहा है अप्रार्थी पूनाराम की जायदाद पुरानी होने के संबंध में खरीद के दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत है जिसमें अप्रार्थी पूनाराम द्वारा कुलदीप व हेमन्त नाबालिग कुदरती वली पिता पूनाराम के नाम रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 19.06.2014 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि तल मंजिल में चार कमरे, एक बरामदा, एक रसोईघर, एक स्नानघर शौचालय निर्मित किये हुए है जो उक्त निर्माण पच्चीस वर्ष पुराना है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी पूनाराम द्वारा खरीद की गई जायदाद पर पुराना निर्माण किया हुआ था जिसको तुड़वाकर रिनोवेशन किया जा रहा है जो संलग्न फोटोग्राफ्स से स्पष्ट है।

4. यह कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निगरानी का जवाब प्रस्तुत कर लिखित कथन किये गये है कि "श्री अन्नाराम वल्द नथूरामजी, जाति- जाट को पट्टा नम्बर 112 मिसल संख्या 26/1990-91 जारी किया गया है वो पट्टा पूर्व में श्री चम्पालालजी को जारी था तत्पश्चात बोरानाडा से बासनी सिलावटा जाने वाली सड़क क्षेत्र में आने के कारण मौके पर कोई जगह नहीं है तथा श्री अन्नाराम पुत्र श्री नथूरामजी के पट्टे में दर्शाये आस पड़ौस भी मौके से मेल नहीं खाते है तथा पूर्व मे श्री बाबूलाल पुत्र श्री बद्रीनारायण व श्री जहूरखां श्री खंगारजी इन सभी का मौका मुवाअना में भी श्री अन्नारामजी पुत्र श्री नथूरामजी के पट्टे का सत्यापन नहीं हो सका।" ग्राम पंचायत के उक्त जवाब से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा बताई जा रही अपनी तथाकथित

पट्टासुद जायदाद का मौके पर कोई अस्तित्व नहीं है और न ही ऐसी कोई जायदाद पर प्रार्थी का कभी कोई कब्जा ही रहा है और न ही ऐसी जायदाद से अप्रार्थी पूनाराम का कोई सरोकार ही है यहां यह कहना उचित होगा कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा अपने जवाब में बाबूलाल व जहूरखां की पट्टासुद जायदाद का वर्णन कर सत्यापन करने के कथन किये हैं वो ही जायदाद अप्रार्थी पूनाराम व उसके परिवार द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेखों के खरीद की गई और उसी जायदाद पर अप्रार्थी पूनाराम व उसके परिवार द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा स्वयं के हक में बताया जा रहा तथाकथित पट्टा विलेख अप्रार्थी पूनाराम व उसके परिवार की खरीदसुदा व पट्टासुदा जायदाद के विरुद्ध प्रारंभ से बेअसर व शून्य है जिससे प्रार्थी को अप्रार्थी पूनाराम की जायदाद के बाबत कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और न ही प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी पूनाराम की जायदाद के बाबत मालिकाना हक के दस्तावेजात के विरुद्ध कोई वाद या निगरानी ही प्रस्तुत की गई है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी पूनाराम अपनी मालिकाना हक की जायदाद पर निर्माण कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सव्यय खारीज फरमायी जावें।

5. यह कि प्रार्थी द्वारा निगरानी में जो अपने पट्टासुद जायदाद के अड़ौस पड़ौस अंकित किये हैं उक्त अड़ौस पड़ौस प्रार्थी द्वारा अपने हक में बताये जा रहे तथाकथित पट्टा विलेख से भिन्न अंकित किये गये हैं प्रार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष साफ हाथों से पेश नहीं होने पर वह माननीय न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है क्योंकि यदि ऐसा तथाकथित पट्टे को बाल कर दिया जाता है तो उक्त तथाकथित पट्टे की भूमि मौके पर नहीं होने से कई जटिलताएं उत्पन्न हो जाएगी और लड़ाई झगड़े होने की पूरी संभावना है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी काबिले निरस्त होने से निरस्त फरमायी जावे।
6. यह कि प्रार्थी द्वारा निगरानी में जो अपने पट्टासुद जायदाद के अड़ौस पड़ौस अंकित किये हैं उक्त अड़ौस पड़ौस प्रार्थी द्वारा अपने हक में बताये जा रहे तथाकथित पट्टा विलेख से भिन्न अंकित किये गये हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी की नियत स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मात्र अप्रार्थी के निर्माण कार्य को रूकवाने व अप्रार्थी की खरीदसुदा व पट्टासुदा जायदाद हड़पने की नियत से माननीय न्यायालय से तथ्य छिपा कर निगरानी व स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि प्रार्थी द्वारा बताई जा रही अपनी तथाकथित पट्टासुद जायदाद के बाबत उक्त जायदाद से कई गुणा बड़ी अप्रार्थी की जायदाद में हो रहे निर्माण कार्य को नहीं रोका जा सकता क्योंकि अप्रार्थी पूनाराम अपनी

खरीदसुदा व पट्टासुदा जायदाद का वास्तविक मालिक है और उक्त जायदाद पर ही निर्माण कार्य करवाया जा रहा है ऐसी स्थिति में विधिनुसार वास्तविक मालिक के विरुद्ध प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी काबिले निरस्त होने से निरस्त फरमायी जावे।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि पूर्व सरपंच द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में बड़े भूभाग का पट्टा जारी किया गया जिसका ग्राम पंचायत को कोई विधिक अधिकार नहीं था तथा पट्टे में जो पड़ौस वर्णित है वे सभी गलत बताए गए हैं। इतने बड़े भूखण्ड लगभग 2222 वर्गगज का पट्टा विलेख ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत जारी नहीं किया जा सकता है। सरपंच ने जानबूझकर गलत व फर्जी पट्टा जारी किया है जो निरस्त योग्य है।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने निरन्तर बहस में बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा विवादग्रस्त भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु विधिवत कोई प्रार्थना पत्र पेश ही नहीं किया गया ना ही आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण का नक्शा संलग्न किया गया ना ही सचिव द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण कर स्थल नक्शा तैयार किया गया ना ही निर्धारित प्ररूप में रजिस्टर तैयार किया गया ना ही समिति की बैठक में रखा गया ना ही समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया एवं ना ही ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत कोई पत्रावली संधारित की गयी। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व विधिनुसार किसी प्रकार का नोटिस चस्पा नहीं किया गया ना ही आक्षेप आमंत्रित किये गये ना ही प्रकाशित किये गये ना ही नोटिस की प्रति उक्त जायदाद पर लगायी गयी इस कारण पट्टा खारिज किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि सरपंच ने पंचायती राज नियमों की पालना किये बिना पट्टा विलेख जारी किया है उक्त पट्टा पूर्ण रूप से छल, भ्रष्टाचार तथा अवैधानिक तरीके से जारी किया गया है यही नहीं उक्त पट्टा प्राप्ति हेतु पालना किये जाने वाले नियमों के विरोधकारी है। साथ ही इस बारे में कुछ भी खुलासा नहीं किया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा कितना पुराना तथा किस आधार पर संभाव्य था ? पुराने कब्जे को दर्शित करने के लिए कुछ भी साक्ष्य नहीं लिया गया ना ही अप्रार्थी संख्या 1 ने कोई आवेदन कर निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि पर बने हुए पुराने मकान उनके कब्जे का है। ना ही कब्जे की अवधि का खुलासा किया गया। सरपंच ने आपत्तियां आमंत्रित किये बिना एवं मौका निरीक्षण किये बिना पट्टा जारी किया जो विधिविरुद्ध है। सरपंच ग्राम पंचायत सोमेश्वर द्वारा जारी पट्टा राजस्थान पंचायत नियम की पालना व कार्यवाही किये बिना जारी किया गया है। आम सूचना का नोटिस पंचायत कार्यालय पर चस्पा नहीं किया गया। पंचायत द्वारा आबादी भूमि का इंड्राज अचल सम्पत्ति रजिस्टर में नहीं किया गया एवं मिसलें कायम कर मनमर्जी अनुसार पट्टे जारी किये गये

जिस बाबत पूर्व में भी न्यायालय द्वारा कई पट्टों को खारिज किया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना-पत्र पेश कर बतलाया कि प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 को मालिकाना कब्जासुदा भूमि से वंचित करना चाहता है तथा प्रार्थी को निगरानी पेश करने का कोई लोकस स्टैंडार्ड यानी विधिक अधिकारिता नहीं है। निगरानीधीन पट्टे की भूमि से प्रार्थी का कोई लेना-देना नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सोमेश्वर ने अपने पत्र क्रमांक ग्रा.प.सों./2020/32 दिनांक 23.12.2020 के द्वारा अवगत कराया कि न्यायालय द्वारा चाहा गया मूल अभिलेख पट्टा संख्या 8 दिनांक 28.12.2010 मिसल संख्या 189/2010 ग्राम पंचायत के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है जबकि जिस अभिलेख के बारे में सूचना चाही गई है उस सम्बन्ध में दिनांक 13.06.2019 को पुलिस थाना शेरगढ़ जिला जोधपुर में सुखदेव मेघवाल पुत्र हीराराम मेघवाल उपसरपंच ग्राम पंचायत सोमेश्वर ने मुकदमा पेश कर बतलाया कि सुबह ग्राम पंचायत आकर देखा तो कल दिनांक 12.06.2019 को रात्रि के समय अज्ञात लोगों द्वारा ग्राम पंचायत का ताला तोड़कर उसमें से सौर उर्जा की बैटरी, कूलर, दो कुर्सीया व अन्य कागजात जैसे एमबी यूसी सीसी आवश्यक कागजात चोरी कर लिए गए चूंकि सरपंच किसी काम से बाहर गए हुए थे इसलिए मुझे आकर थाने में रिपोर्ट देनी पड़ी नवीन ग्राम सेवक द्वारा जोड़निंग नहीं की गई थी। अतः ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जो सूचना पेश की गई वह सद्भाविक नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी ने जानबूझकर वास्तविक जानकारी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर कपोलकल्पित बिना किसी आधार के पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी गलत तथ्यों के आधार पर पेश की है जो खारिज योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त पट्टा पुश्तैनी पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से चले आ रहे कब्जे के आधार पर विधिनुसार जारी किया गया है जिसे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उपपंजीयक शेरगढ़ जिला जोधपुर में दिनांक 21.05.2020 को पंजीबद्ध करवा लिया गया है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 अपना पशुधन रखती है। अप्रार्थी संख्या 1 के ससुर खंगारसिंह ने जीवित रहते अपनी सम्पत्ति में से प्रार्थी मोतीसिंह को जोधपुर स्थित जायदाद प्रदान की। सेतरावा स्थित जायदाद/दुकानें अप्रार्थी संख्या 1 की सास के नाम कर दी तथा उक्त निगरानीधीन पट्टा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की सास की सहमति से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी करवा दिया। अतः पट्टे की अधिकारिता आज से 11 वर्ष पूर्व की है जिसकी जानकारी

प्रार्थी व उसके परिजनों को शुरू से है। अतः प्रार्थी द्वारा निगरानी अत्यन्त विलम्ब से पेश की गई जो मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने निरन्तर बहस में बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 1 विधवा व निसन्तान महिला है जिसे परेशान करने की नियत से तथा जायदाद से बेदखल करने की बदनियति से निगरानी पेश की है जिसे खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। निगरानी का गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। अप्रार्थीपक्ष संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक का मुख्य कथन रहा कि निगरानी में कालबाधित पट्टा को चुनौती दी गई है चूंकि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 61 के तहत पंचायत के किसी आदेश के विरुद्ध 30 दिवस के भीतर पंचायत समिति के समक्ष अपील पेश करने का प्रावधान है, परन्तु आलौच्य पट्टा 1991 में जारी किये जाने से अपील मियाद समाप्त हो चुकी है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के तहत कार्यवाही समय सीमा से बाधित नहीं होने से निगरानी का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित समझते हैं। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 में स्पष्ट किया गया है कि “राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर पर, किसी भी कार्यवाहियों के संबंध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेंगी और, यदि किसी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपान्तरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश कर सकेगी।” अतः पंचायत निगरानी पर मियाद का बिन्दु लागू नहीं होता है। निगरानी का गुणावगुण पर निर्णय इस प्रकार है कि प्रथमतः यह तथ्य निर्विवादित है कि ग्राम पंचायत सोमेश्वर द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 नियम 1996 की धारा 157 (1) के तहत अप्रार्थी संख्या 1 को 2222 वर्गगज का पट्टा विलेख जारी किया गया जबकि नियम 157 के अनुसार पुरानों गृहों का विनियमितकरण – जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो वह निम्न अनुसार राशि जमा कराये जाने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। (क) 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों हेतु 100 रुपये (ख) 50 वर्षों के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200 रुपये। जिसमें अधिकतम सीमा 300 वर्गगज निर्धारित की

गई है लेकिन अप्रार्थी संख्या को जारी पट्टे का क्षेत्रफल 2222 वर्गगज है। इतने बड़े भू-भाग पर अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा जारी कर ग्राम पंचायत ने विधिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जाना न्यायोचित समझते हैं। द्वितीयतः प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय 2016 (4) DNJ (RAJ.) 1799 में अभिनिर्धारित किया गया है कि “राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के तहत नियम 157 के तहत जारी पट्टे का संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण जिला कलक्टर द्वारा पट्टा निरस्त किया गया। नियम 157 (2) के उल्लंघन में पट्टा जारी किया गया। मौके पर निर्माण, झोपड़ी या कच्चा मकान होने के साक्ष्य नहीं होने से कलक्टर द्वारा पट्टे को सही निरस्त किया गया।” अतः प्रथम दृष्टया मौके पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है जिससे स्पष्ट है कि निगरानाधीन पट्टा विधि विरुद्ध है। परिणामस्वरूप प्रार्थी की पंचायत निगरानी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सोमेश्वर द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 गुड्डी कंवर पत्नी जबरसिंह, निवासी ग्राम सोमेश्वर को जारी पट्टा विलेख संख्या 8 मिसल संख्या 189 दिनांक 28.12.2010 को निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति ग्राम पंचायत को भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)  
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)  
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 25.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)  
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)  
जोधपुर।